

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र महाबार

प्रार्थीगण
1 लेहरी देवी पत्नी विशनाराम 2
गंगादेवी पत्नी तिलोकचन्द जाति
जटिया निवासी जटियों का वास
बाड़मेर तहसील एवं जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1.नेनाराम पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल
निवासी सियोलो की ढाणी खुड़ासा, 2
मदनकंवर पत्नी जोगराजसिंह जाति
राजपूत निवासी रामदेरिया, 3 गेमराराम
पुत्र हरचंदराम मेघवाल निवासी बाड़मेर
आगौर, 4 मोहनलाल पुत्र चुतराराम जाति
मेघवाल निवासी सियागपुरा लीलसर
तहसील चौहटन, 5 खेताराम पुत्र
मेहराराम जाति मेघवाल निवासी शास्त्री
नगर बाड़मेर, 6 शंकराराम पुत्र नोजीराम,
7 केवलाराम पुत्र नोजीराम, 8 भूराराम
पुत्र नोजीराम 9 वरजुदेवी पत्नी नोजीराम
जातियान मेघवाल निवासी बाड़मेर
आगौर, 10 इन्द्री पत्नी डूगराराम 11
टीमो पत्नी खेराजराम 12 बतली पत्नी
माणकाराम 13 पपुदेवी पत्नी मोहनराम
जातियान मेघवाल निवासी मथरोणियों
की ढाणी बाड़मेर आगौर तहसील एवं
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-143/2021 दिनांक-23.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील एवं जिला बाड़मेर
के खसरा नम्बर 2400/91 रकबा 4.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता
है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र
सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकदर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक
07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की
जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

दिनांक- 23/10/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6085-6080

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते बक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्रीमती लेहरी देवी पत्नी विशनाराम वगैराह जाति जटिया निवासी जटियों का वास
बाड़मेर तहसील एवं जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण नेनाराम पुत्र भीखाराम वगैराह जाति मेघवाल/राजपूत निवासी मथरोणियों की
ढाणी बाड़मेर आगौर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर